न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00340

दशरथ आत्मज किशनगोपाल जाति ब्राह्मण निवीस बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्योप्रसाद आत्मज किशन गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. निर्मला आत्मज किशन गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा जिला बून्दी ।
4. शाखा प्रबन्धक महोदय, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नैनवा जिला बून्दी ।
5. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमेश कुमार कहार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 04.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 07 किता की रकबा 48 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने संयुक्त खाते की आराजी का विधिवत विभाजन करवाये तथा विभाजन में प्राप्त भूमि को पृथक से अपने खाते दर्ज करावे तथा पृथक से लगान कायम करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य बराबर–बराबर हिस्सेनुसार विभाजन करें तथा विभाजन में प्राप्त भूमि पृथक से वादी के खाते दर्ज की जावे तथा पृथक से लगान कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.05.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया गया था । पत्रावली में तनकीयात कायम होने के उपरान्त साक्ष्य वादी में लम्बित थी और अपीलान्ट प्रतिवादी को कोई जानकारी प्रदान किये बिना प्रकरण को लोक अदालत में रखा जाकर डिक्री पारित की गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है । सहखातेदारों को अपनी आराजी का विभाजन कराने का अधिकार है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी इसमें दिनांक 12.05.2017 से 06.07.2017 की तारीख दी गई थी और इससे पूर्व ही इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है । वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसका प्रतिवादीगण

के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की हैं । ऐसी स्थिति में सीपीसी की पालना करते हुए उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करना अनिवार्य होता है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 04.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा